[illegible] उप जिलाधिकारी, महावन, जनपद मथुरा।

[illegible] बनाम [illegible] तिलोकी नाथ [illegible]

[illegible]

[illegible] प्रदेश सरकार
अन्तर्गत धारा–143 [illegible]
मौजा–बहादुरपुर [illegible] (मथुरा)

आदेश

[illegible] भूमि [illegible] अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत [illegible] जिला मथुरा [illegible] द्वारा [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] के साथ दिनांक [illegible] खाता संख्या 70 [illegible] रकबा 0.235 [illegible] खाता संख्या [illegible] रकबा 0.179 हे० (2/3वां) [illegible] भूमि [illegible] अकृषक [illegible] जिस भूमि [illegible] आदि के प्रयोजन [illegible] घोषित किया जावे।

[illegible] तहसीलदार महावन [illegible] मौजा बहादुरपुर [illegible] खाता संख्या [illegible] रकबा 0.235 हे० [illegible] 5.30 [illegible] रकबा 0.179 हे० [illegible]

[illegible] धारा 143 के अन्तर्गत [illegible] भूमि [illegible] कार्यवाही [illegible]

[illegible] — धारा 143 ज.वि. एवं भू.व्य.अधि.

— [illegible] महावन

— खाता संख्या 70 [illegible] रकबा 0.235 हे० [illegible] संख्या 154 रकबा 0.179 हे० [illegible] (2/3वां) भूमि

— 30.09 [illegible] 14.00 [illegible]

तिलोकी नाथ [illegible] जिला मथुरा [illegible] जिला मथुरा

[illegible] उप जिलाधिकारी
[illegible]

[illegible] प्रतिलिपि [illegible] आवश्यक कार्यवाही [illegible]

[illegible] उप जिलाधिकारी,
महावन

कार्यालय उप जिलाधिकारी, महावन, जनपद मथुरा।

पत्रांक संख्या 37 /2015-16

पं0 हुकम सिंह एजुकेशन कालेज, मांट, मथुरा प्रबन्धक त्रिलोकी नाथ गौतम

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार
अन्तर्गत धारा–143 ज0वि0एवं भू0 व्य0 अधि0
मौजा–बहादुरपुर तह0 महावन (मथुरा)

आदेश

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत प्रार्थी त्रिलोकीनाथ गौतम पुत्र श्री हुकम सिंह निवासी कारब, महावन, जिला मथुरा प्रबन्धक पं0 हुकम सिंह एजुकेशन कॉलेज, ग्राम–बल्देव रोड, कारब, तह0 महावन जिला मथुरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ दिनांक 21.02.16 को प्रस्तुत किया। प्रार्थी मौजा बहादुरपुर के खाता संख्या 115 खसरा संख्या 139/3 रकबा 0.332 है0 लगान 11.80रू0 के अकदर भाग में से रकबा 0.332 है लगान 6.70रू0 तथा खाता संख्या 010 खसरा संख्या 140 रकबा 0.340 है0 लगान 12.10रू0 के अकदर भाग में से रकबा 0.226 है0 (2/3वें) संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज कागजात है। यह कि उक्त भूमि के कुछ भाग पर आवासीय निर्माण हो चुका है। यह कि प्रार्थी उपरोक्त भूमि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी आदि के प्रयोजन में नहीं लाई जा रही है। अन्त में अनुरोध किया है कि उपरोक्त भूमि को आबादी घोषित किया जावे।

प्रश्नगत प्रकरण की जाँच तहसीलदार महावन से कराई गई। तहसीलदार महावन ने अपनी जाँच आख्या दिनांक 20.05.16 के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रार्थी मौजा बहादुरपुर के खाता संख्या 115 खसरा संख्या 139/3 रकबा 0.332 है0 लगान 11.80रू0 के अकदर भाग में से रकबा 0.332 है लगान 6.70रू0 तथा खाता संख्या 010 खसरा संख्या 140 रकबा 0.340 है0 लगान 12.10रू0 के अकदर भाग में से रकबा 0.226 है0 (2/3वें) का संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज कागजात है। यह है कि उक्त भूमि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी आदि के प्रयोजन में नहीं लाई जा रही है और न कोई फसल बोयी गयी है। यह कि उक्त भूमि आवास – विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित नहीं की गई है। (पुष्टि हेतु नक्शा, खतौनी, खसरा संलग्न है) अन्त में उपरोक्त भूमि को आबादी घोषित किए जाने हेतु जाँच आख्या प्रेषित की है।

अतः प्रार्थी के स्वयं के शपथ पत्र तथा तहसीलदार महावन की उक्त संस्तुति आख्या दिनांक 20.05.16 के आधार पर उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत उक्त भूमि को निम्न प्रारूप पर कुछ शर्तों के साथ आबादी घोषित किया जाता है यदि उक्त भूमि पर भविष्य में कृषि कार्य होता पाया जाता है तो कृषि भूमि मानकर भू-राजस्व इत्यादि घोषित कर दिया जायेगा। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

1.	किस धारा के अन्तर्गत आबादी घोषित की जा रही है।	– धारा 143 ज.वि. एवं भू.व्य.अधि.
2.	भूमि किस गाँव में स्थित है।	– कारब तहसील महावन
3.	भूमि का विवरण	– खाता संख्या 115 खसरा संख्या 139/3 रकबा 0.332 है0 के अकदर भाग में से रकबा 0.332 है तथा खाता संख्या 010 खसरा संख्या 140 रकबा 0.340 है0 के अकदर भाग में से रकबा 0.226 है0 (2/3वें) भूमि
4.	भूराजस्व	– 50.60 रू. में से 14.90 रू.
5.	भूमिधर का नाम व पता	– त्रिलोकी नाथ गौतम पुत्र श्री हुकम सिंह गौतम निवासी कारब जिला मथुरा प्रबन्धक, पं0 हुकम सिंह एजुकेशन कॉलेज, ग्राम बल्देव रोड, कारब तहसील महावन जिला मथुरा

20.06.16

(विश्वभूषण मिश्र)
उपजिलाधिकारी

प्रतिलिपि –

1. तहसीलदार महावन को दो प्रतियां इस निर्देश के साथ कि अभिलेखों में इन्द्राज करवाकर एक प्रति वापस भेजी जावे।
2. उप निबन्धक महावन को दो प्रतियां इस आशय प्रेषित है कि पंजीकृत कर एक प्रति वापस भेजा जाय।

(विश्वभूषण मिश्र)
उपजिलाधिकारी

कार्यालय उप जिलाधिकारी, महावन, जनपद मथुरा।
पत्रांक संख्या 0[illegible]/2022-23

प0 हुकम सिंह एजुकेशन कालेज, बाजना, मथुरा प्रबन्धक त्रिलोकी नाथ गौतम

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार
अर्न्तगत धारा-143 ज0वि0एवं भू0 व्य0 अधि0
मौजा-बहादुरपुर तह0 महावन (मथुरा)

आदेश

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अर्न्तगत प्रार्थी त्रिलोकीनाथ गौतम पुत्र श्री हुकम सिंह निवासी बाजना, महावन, जिला मथुरा प्रबन्धक प0 हुकम सिंह एजुकेशन कालेज, बाजना-कन्देय रोड, बाजना, तहसील महावन जिला मथुरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ दिनांक 06.07.22 को प्रस्तुत किया। प्रार्थी मौजा बहादुरपुर के खाता संख्या 38 खसरा संख्या 1380, 2/रकबा 0.236 है0 लगान 20.65रू0 के चकदर भाग में से रकबा 0.236 है लगान 5.20रू0 तथा खाता संख्या 89 खसरा संख्या 154 रकबा 0.179 है0 लगान 12.10रू0 के चकदर भाग में से रकबा 0.179 है0 (2/3भा0) संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज कागजात है। यह कि उक्त भूमि के कुछ भाग पर आबादी निर्माण हो चुका है। यह कि प्रार्थी उपरोक्त भूमि कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी पालन आदि के प्रयोजन में नहीं लाई जा रही है। अतः में अनुरोध किया है कि उपरोक्त भूमि को आबादी घोषित किया जावे।

प्रकरणार्थ प्रकरण की जाँच तहसीलदार महावन से कराई गई। तहसीलदार महावन ने अपनी जाँच आख्या दिनांक 18.07.22 के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रार्थी मौजा बहादुरपुर के खाता संख्या 76 खसरा संख्या 1380, 2/रकबा 0.236 है0 लगान 20.65रू0 की चकदर भाग में से रकबा 0.236 है लगान 5.20रू0 तथा खाता संख्या 89 खसरा संख्या 154 रकबा 0.179 है0 लगान 12.10रू0 के चकदर भाग में से रकबा 0.179 है0 (2/3भा0) में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज कागजात है। यह है कि उक्त भूमि कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी पालन आदि के प्रयोजन में नहीं लाई जा रही है और न कोई फसल बोयी गयी है। यह कि उक्त भूमि आवास - विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित नहीं की गई है। पुष्टि हेतु [illegible] उपरोक्त भूमि को आबादी घोषित किए जाने हेतु पात्र आख्या प्रेषित की है।

अतः प्रार्थी के स्वयं के शपथ पत्र तथा तहसीलदार महावन की उक्त संस्तुति आख्या दिनांक 18.07.22 के आधार पर ज0वि0एवं भू0व्य0अधि0 की धारा 143 के अर्न्तगत उक्त भूमि को निम्न प्रारूप पर इस शर्त के साथ आबादी घोषित किया जाता है यदि उक्त भूमि पर भविष्य में कृषि कार्य होता पाया जाता है तो भूमि कृषि मानकर भू-राजस्व इत्यादि घोषित कर दिया जायेगा। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावें।

1.	किस धारा के अर्न्तगत आबादी घोषित की जा रही है।	- धारा 143 ज.वि. एवं भू.व्य.अधि.
2.	भूमि किस गाँव में स्थित है।	- बाजना तहसील महावन
3.	भूमि का विवरण	- खाता संख्या 76 खसरा संख्या 1380, 2/रकबा 0.236 है0 के चकदर भाग में से रकबा 0.236 है तथा खाता संख्या 0-0 खसरा संख्या 154 रकबा 0.179 है0 के चकदर भाग में से रकबा 0.179 है0 (2/3भा0) भूमि
4.	भूराजस्व	- 00.60 रू. में से 14.00 रू.
5.	भूमिधर का नाम व पता	- त्रिलोकी नाथ गौतम पुत्र श्री हुकम सिंह गौतम निवासी बाजना जिला मथुरा प्रबन्धक, प0 हुकम सिंह एजुकेशन कॉलेज, बाजा कन्देय रोड, बाजना तहसील महावन जिला मथुरा

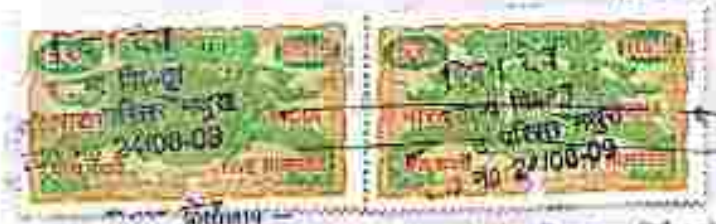

(हीरा लाल)
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी
[illegible]

प्रतिलिपि-
1. तहसीलदार महावन को दो प्रतियां इस निर्देश के साथ कि अभिलेखों में इन्द्राज करवाकर एक प्रति वापस भेजी जावे।
2. उप निबन्धक महावन को दो प्रतियां इसलिये प्रेषित है कि पंजीकृत कर एक प्रति वापस भेजी जावे।

(हीरा लाल)
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी,
महावन।

Scanned with CamScanner